

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 691]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2020 — पौष 8, शक 1942

राजभवन

रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2020/रास/यू.-3. — छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रावधान अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) में कुलपति नियुक्ति हेतु न्यूनतम तीन व्यक्तियों का एक पेनल अनुशंसित करने हेतु माननीय कुलाधिपति द्वारा निम्नानुसार समिति नियुक्त किया गया है :-

|    |                                                                                                                           |                                                                      |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | श्री के.आर. पिस्दा,<br>सेवानिवृत्त आई.ए.एस. एवं पूर्व अध्यक्ष,<br>छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर (छ.ग.)                  | कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति                             | समिति अध्यक्ष |
| 2. | प्रो. आर.पी. तिवारी,<br>सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं कुलपति,<br>डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (मध्य प्रदेश) | अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा<br>नामनिर्देशित एक व्यक्ति | समिति सदस्य   |
| 3. | प्रो. डॉ. माण्डवी सिंह,<br>पूर्व कुलपति,<br>इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ (छ.ग.)                                | कार्य-परिषद द्वारा निर्वाचित एक व्यक्ति                              | समिति सदस्य   |

2. माननीय कुलाधिपति द्वारा श्री के.आर. पिस्दा को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. उपर्युक्त समिति छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13(5) के अंतर्गत यह अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में माननीय कुलाधिपति को पेनल प्रस्तुत करेगी.

हस्ता./-

(रोक्तिमा यादव)  
राज्यपाल के उप-सचिव.